



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 62 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

श्रीमती अशिया बेगम,  
पत्नि स्व. श्री अब्दुल रज्जाक,  
निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा,  
जिला डिण्डौरी

**विषय:-** प्रकरण क्रमांक 9009/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अशिया बेगम पत्नि स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 626/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति द्वारा 558वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 में अनुशंसा को मान्य राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वीं बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन का है, क्योंकि पूर्व रकबा 1.00 हे. था जो अब 0.56 हे. हो गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि इस प्रकरण डिया डिंडौरी द्वारा पत्र क्रमांक 203 दिनांक 24/8/16 के माध्यम पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई है किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के दौरान डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर सके एवं गूगल के देखने पर भी वृक्षारोपण इत्यादि की कोई स्थिति नहीं पाई गई। डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक को 1500 वृक्ष लगाने की शर्त निहित की गई थी किंतु उनके द्वारा यह शर्त पूर्ण नहीं की गई है। समिति ने विचार-विमर्श कर यह अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक एक माह के अंदर आवेदित क्षेत्र में 1500 पौधों का वृक्षारोपण कर, फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर सिया के माध्यम से प्रस्तुत करेंगा तथा संबंधित नस्ती निर्णय सिया की ओर अग्रोषित की जाये ..

SEAC की 558वीं बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुये विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिवस के अंदर आवेदित क्षेत्र में 1500 पौधों का वृक्षारोपण कर, फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है। आवेदित क्षेत्र में 1500 पौधों का वृक्षारोपण कर, फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित 30 दिवस के अंदर प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में पुनर्विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 63 /SEIAA/2022

दिनांक - 9/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - डिण्डौरी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - डिण्डौरी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - डिण्डौरी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी